**भारत सरकार** **लोक सभा**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं. 4154**
**वाणिज्य विभाग**

**दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**हाल में लगाए गए अमेरिकी प्रशुल्क का प्रभाव**

4154. **श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 30 जुलाई, 2025 तक भारत के विरुद्ध घोषित नए प्रशुल्क, प्रतिपूरक शुल्क, व्यापार शास्तियों या व्यापार प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत के कौन से विशिष्ट क्षेत्र या उत्पाद श्रेणियाँ इन उपायों से प्रभावित हुई हैं और भारतीय उद्योगों पर निर्यात मात्रा में कमी या राजस्व में गिरावट के संदर्भ में लगभग कितना आर्थिक प्रभाव पड़ा हैं;

(ग) सरकार द्वारा इन कार्रवाइयों का विरोध करने या उन पर बातचीत करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्राधिकरणों के साथ या विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या प्रतिनिधित्व या परामर्श किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात बाजारों में विविधता लाने या प्रभावित क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने सहित किसी भी प्रतिकारी या उपशमन रणनीतियों की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) विदेशी व्यापार संबंधी उक्त आघातों से देश की स्थिति को अप्रभावित रखने, विशेषकर एमएसएमई और रोजगार- प्रधान उद्योगों की स्थिति सुरक्षित करने हेतु किन दीर्घकालिक नीतिगत समायोजनों पर विचार किया जा रहा है?

**उत्तर**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (घ) दिनांक 20 जनवरी, 2025 से 30 जुलाई, 2025 तक, भारत के विरूद्ध अमेरिका द्वारा घोषित नए प्रशुल्क, प्रतिकारी शुल्क, व्यापार शास्तियों का विवरण निम्नवत है:

i. 10 फरवरी, 2025 को, यूएसए ने भारत सहित अमेरिका में स्टील की वस्तुओं और डेरिवेटिव्स के सभी आयातों पर 25 प्रतिशत यथामूल्य प्रशुल्क लगाने की घोषणा की और एल्यूमीनियम और डेरिवेटिव्स पर अतिरिक्त यथामूल्य प्रशुल्क को 10 प्रतिशत (2018 में लगाया गया) से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया। दिनांक 03 जून 2025 को, यूएसए ने भारत सहित स्टील की वस्तुओं और उसके डेरिवेटिव्स, और एल्यूमीनियम और उसके डेरिवेटिव्स के सभी आयातों के लिए प्रशुल्क दर को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया। इन उपायों के विरूद्ध, भारत ने डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत संरक्षोपाय (एओएस) के तहत परामर्श के लिए अनुरोध किया।

ii. दिनांक 26 मार्च, 2025 को, अमेरिका ने भारत में या भारत से आयातित यात्री वाहनों और हल्के ट्रकों तथा कुछ ऑटोमोबाइल पुर्जों के आयात पर 25 प्रतिशत यथामूल्य प्रशुल्क वृद्धि के रूप में एक उपाय अपनाया। ऑटोमोबाइल पुर्जों पर यह उपाय 3 मई, 2025 से लागू हुआ। इन उपायों के विरुद्ध, भारत ने विश्व व्यापार संगठन के संरक्षोपाय समझौते (एओएस) के अंतर्गत परामर्श हेतु अनुरोध किया। चूँकि अमेरिका इससे सहमत नहीं था, इसलिए भारत ने समतुल्य रियायतों के निलंबन का अपना अधिकार सुरक्षित रखा।

iii. दिनांक 30 जुलाई, 2025 को, अमेरिका ने तांबे और उनके डेरिवेटिव्स उत्पादों के सभी आयातों पर 50 प्रतिशत यथामूल्य प्रशुल्क लगाने की घोषणा की।

iv. वर्ष 2024 के आँकड़ों के अनुसार, स्टील, एल्युमीनियम, तांबे, उनके डेरिवेटिव्स और ऑटो पुर्जों पर उपरोक्त अतिरिक्त यथामूल्य प्रशुल्क द्वारा कवर किए गए भारत का अमेरिका को निर्यात 8.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

**V.** प्रतिपूरक शुल्क (सीवीडी) जाँच के बाद सब्सिडी वाले आयातों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं। अमेरिका ने जनवरी से जुलाई 2025 की अवधि में भारत से मेलामाइन, हेक्सामाइन, एपॉक्सी रेजिन, सिरेमिक टाइल, 2,4-डाइक्लोरोफेनोक्सीएसिटिक एसिड, हार्ड एम्प्टी कैप्सूल, ओवरहेड डोर काउंटरबैलेंस टॉर्शन स्प्रिंग्स और हाई क्रोम कास्ट आयरन ग्राइंडिंग मीडिया के निर्यात पर प्रतिपूरक शुल्क (सीवीडी) लगाने की घोषणा की है।

vi. दिनांक 2 अप्रैल, 2025 को, अमेरिका ने भारत सहित विभिन्न देशों पर पारस्परिक प्रशुल्क लगाने की घोषणा की। लगभग सभी अमेरिकी आयातों पर 10% बेसलाइन टैरिफ को दिनांक 5 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया था, जिसमें देश-विशिष्ट पारस्परिक टैरिफ भी शामिल थे, जिसमें भारत पर 26% की दर से टैरिफ भी शामिल था, जो 9 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होना था। हालाँकि, भारत पर ये पारस्परिक टैरिफ दिनांक 1 अगस्त, 2025 तक निलंबित कर दिए गए थे। वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार, देश-विशिष्ट पारस्परिक टैरिफ द्वारा कवर किए गए अमेरिका को भारत का निर्यात 48.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

vii. अप्रैल से जुलाई 2025 (क्यूई) के दौरान, अमेरिका को कुल निर्यात 33.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 27.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 21.64% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

(ड.) सरकार देश के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने तथा हमारे किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, एमएसएमई और रोज़गार-प्रधान उद्योगों के कल्याण की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके, जिसमें उचित निर्यात संवर्धन और व्यापार विविधीकरण उपाय भी शामिल हैं। सरकार निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से स्थिति के आकलन पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए नियोजित है।

*****